विपणन संघ

उपनियम

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. के आदेश क्रमांक/विप./विप.संघ/15/2013 दिनांक 17-2-2014 तक हुये सभी संशोधनों सहित

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मुख्यालय
जहाँगीराबाद · भोपाल

म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मुख्यालय भोपाल

[illegible]

[illegible]

[illegible] Mandideep, [illegible]

[illegible]

[illegible] के [illegible] परिभाषाओं का अर्थ धारण करेंगे ।

उद्देश्य

2. संघ के उद्देश्य हैं :

1. [illegible] सहकारी [illegible] समितियां, सहकारी [illegible] बैंक, उपभोक्ता सहकारी [illegible] संरक्षण देना एव [illegible] करना, उनकी गतिविधियों में [illegible] ताकि [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. संघ के सदस्यों, गैर सदस्यों, गैर सदस्य सहकारी समितियों [illegible] सरकार के उपक्रम, शासन तथा निजी संस्थाओं एवं निर्माताओं या उत्पादकों [illegible] के लिए [illegible] और [illegible] है, [illegible] द्वारा किये जाने वाले विभिन्न [illegible] प्राप्त करना या अन्य प्रकार से [illegible] ।

9. अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु [illegible] अथवा [illegible] की [illegible] आवश्यकता [illegible] करना ।

10. [illegible] सीमितों का [illegible] एवं प्रबंध करना और [illegible] आवश्यक हो [illegible] कृषि सीमितों की [illegible] समितियों से [illegible] ।

11. राज्य में [illegible] की [illegible] के [illegible] में [illegible] एवं [illegible] की [illegible] करना ।

12. किसी भी सहकारी [illegible] सहकारी [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] अथवा [illegible] को सौंपा गया हो अथवा [illegible] के अनुसार [illegible] [illegible] का अधिग्रहण किया गया हो, [illegible] लेना ।

13. [illegible] एवं अन्य [illegible] को सहकारी [illegible] [illegible] हेतु [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] शर्तों का [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] प्रदान करना ।

14. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] सहकारी [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] के लिए [illegible] [illegible] [illegible] द्वारा निर्धारित शर्तों एवं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] करना ।

15. [illegible] की [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।

16. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] के [illegible] में [illegible] होना ।

17. सहकारी बैंक, [illegible] [illegible], [illegible] बैंक ऑफ इंडिया, राज्य में [illegible] [illegible] किसी विधि के अधीन बैंक, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] और [illegible] से [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] अन्य प्रकार के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के सदस्यों को [illegible] [illegible] हेतु [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] में [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible] ।

18. [illegible] [illegible] [illegible] के सदस्यों/सदस्य [illegible] एवं [illegible] से [illegible] [illegible] ।

19. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] के [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।

20. किसी भी [illegible] [illegible] [illegible] का [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] और [illegible] कार्यवाहियों के [illegible] [illegible] [illegible] किसी प्रकार से [illegible] में लेना, अर्जित करना

21. किसी भी [illegible] [illegible] [illegible] संपत्ति को, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] और कार्यवाहियों के [illegible] द्वारा या अन्य किसी प्रकार से [illegible] [illegible] ।

22. [illegible] [illegible] के लिए [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] सहकारी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] में [illegible] [illegible] एवं [illegible]

-7-

२८. [illegible] के [illegible] हेतु [illegible]
विकसित करना।

२९. [illegible] के लिए
[illegible] के लिए [illegible]
[illegible]

टिप्पणी :-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ब. [illegible]
[illegible]

ग. [illegible] की आवश्यकता [illegible]
घ. [illegible] जो निश्चित की जाएं।

7. [illegible] किया गया हो जिसके [illegible] ... [illegible] किन्तु ऐसा [illegible] नहीं होगा यदि सदस्य को [illegible] संबंधी प्रस्ताव की सूचना [illegible] दिन पूर्व न दी गई हो तथा उसे [illegible] के समक्ष अपना मामला रखने का अवसर न दिया गया हो । इस प्रकार [illegible] [illegible] संघ से लिये गये ऋण [illegible] [illegible] शेष रहे, सदस्य [illegible] प्रदत्त राशि में से [illegible] शेष राशि वापिस की जावेगी ।

8. सदस्यता निम्न स्थिति में समाप्त हो जावेगी :

1 [illegible] के [illegible] पत्र/पंजीयन निरस्त होने पर/[illegible]

2 संघ की उपविधि के अनुसार सदस्यता के लिए निर्धारित [illegible] धारण न करने पर

3 उपनियम क्र0 7 के अनुसार सदस्यता समाप्त होने पर

9. उपनियम क्र. 7 एवं 8 में वर्णित स्थितियों के सिवाय कोई भी सदस्य [illegible] की पूर्व स्वीकृति बिना किसी भी समय कोई भी अंश वापिस नहीं ले सकेगा [illegible] ऐसी [illegible] की कुल राशि संघ की [illegible] अंशपूंजी के [illegible] प्रतिशत से अधिक न होगी ।

10. सदस्य समिति के परिसमापन पर उनके अंश या अंशों की राशि [illegible] ऋण [illegible] अन्य राशि जो सदस्य संस्था से [illegible] हो, काटकर उसके परिसमापक (लिक्विडेटर) को लौटा दी जावेगी ।

11. सदस्यों द्वारा कोई भी अंश [illegible] की स्वीकृति के बिना तथा [illegible] द्वारा [illegible] पर निर्धारित किये गये हस्तांतरण शुल्क चुकाए बिना हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा ।

12. बिना कोई कारण दर्शाये किसी भी अंश के हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान न करने का पूर्ण अधिकार [illegible] को होगा ।

13. अंशों के हस्तांतरण हेतु आवेदन संघ द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जावेगा जिसके साथ हस्तांतरण किये जाने वाले अंशों के प्रमाण पत्र तथा हस्तांतरण संबंधी [illegible] स्टाम्प पर प्रस्तुत किया जावेगा ।

14. सदस्यों द्वारा संघ को देय ऋण तथा अन्य देय राशियों के लिए संघ का प्रथमाधिकार सदस्यों के अंशों या पूंजी में जो [illegible] हो उस पर तथा अमानतें, लाभांश, बोनस, रिबेट, कमीशन या लाभ जो सदस्यों को संघ द्वारा देय हो उस पर रहेगा और संघ द्वारा ऐसे देय की राशि को सदस्यों से प्राप्य ऋण तथा अन्य [illegible] राशियों की वसूली में लिया जा सकेगा।

दायित्व

15. सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किये गये अंश अथवा अंशों के अदत्त पूर्ण मान तक ही सीमित होगा ।

व्यापक सम्मेलन (आमसभा)

इन उपनियमों में किये गये प्रावधानों को [illegible] लक्ष्य के कार्यों में अंकित [illegible] अंतिम निर्णय लेने का अधिकार [illegible] द्वारा [illegible] तीन माह के भीतर आवश्यक सम्मेलन [illegible] [illegible] के प्रावधानों [illegible] तथा अन्य किसी [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

7\. [illegible] सम्मेलन में [illegible] प्रतिनिधित्व करने हेतु अपने [illegible] की [illegible] करेगा और ऐसा प्रतिनिधि संस्था का प्रतिनिधित्व [illegible] करना होगा ।

8\. [illegible] संघ के संचालक मंडल के सदस्यों का [illegible] जाता है और निर्वाचन किए जाने की तारीख से [illegible] दिन पूर्व [illegible] सदस्य [illegible] एवं उनके प्रतिनिधियों की सूची तैयार करेगा, जिसमें वे प्रतिनिधि भी शामिल किये जायेंगे जो संघ के संचालक मंडल के सदस्य निर्वाचन [illegible] होने के लिए अपेक्षित है।

[illegible] के अन्तर्गत [illegible] तथा [illegible]

[illegible] का [illegible] करना ।

[illegible] के अन्तर्गत [illegible] की [illegible]

[illegible] को [illegible]

[illegible] तथा [illegible] सीमा [illegible]

[illegible]

[illegible] अथवा [illegible] की [illegible]

[illegible] को [illegible] ।

[illegible]

[illegible] किया जाय [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] से [illegible] ।

संस्था का देय राशि की वसूली किये जाने [illegible] प्रस्ताव [illegible] की जानी चाहिये । बैठक के पदेन सदस्य को किसी भी विषय पर चर्चा हेतु नामांकित व्यक्ति को भाग लेने [illegible] तथा उसके स्थान पर [illegible] मत देने का अधिकार होगा ।

पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि का निर्वाचन

29. मंडल के सदस्यों में से गुप्त मतदान पद्धति से निर्वाचित संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित एवं सहयोजित संचालकों की बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संस्था की ओर से अन्य संस्थाओं (जिनका कि संस्था सदस्य हो) में प्रतिनिधित्व करने के लिये प्रतिनिधियों का निर्वाचन, निर्वाचन अधिकारी द्वारा कराया जायेगा तथा इस बैठक की अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जावेगी । उपनियमानुसार बुलाई गई बैठक में पदेन संचालकों अथवा शासन द्वारा नामांकित संचालकों को मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

30. (अ) निर्वाचन द्वारा उपनियम के अनुसार निर्धारित स्थान नहीं भरे जाने की स्थिति में संचालक मंडल के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन के पश्चात आयोजित प्रथम बैठक में रिक्त स्थान की पूर्ति उन्हीं वर्गों के सदस्यों में से सहयोजन द्वारा करेंगे जिस वर्ग के सदस्यों का स्थान रिक्त है । गणपूर्ति के अभाव में सहयोजन नहीं किया जावेगा । परन्तु यह और भी कि यदि संचालकों के संचालक मंडल की बैठक के लिए निर्धारित कोरम से कम संख्या में सदस्य निर्वाचित होते हैं तो ऐसी दशा में सहयोजन नहीं होगा, अपितु शेष वर्गों के लिए निर्वाचन की कार्यवाही पुनः प्रारंभ की जावेगी ।
(ब) यदि किसी समय मंडल में किसी संचालक का पद अथवा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद त्याग पत्र देने, मृत्यु हो जाने या अन्यथा रिक्त हो जाता है तो ऐसे रिक्त पद की पूर्ति हेतु सहयोजन/निर्वाचन संचालक मंडल की उस बैठक में जिसकी कार्यसूची में यह विषय बैठक की सूचना में अंकित है की जावेगी । निर्वाचन की बैठक की अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जावेगी । ऐसी बुलाई गई बैठक में गणपूर्ति आवश्यक होगी । उपनियमानुसार बुलाई गई बैठक में पदेन संचालकों अथवा शासन द्वारा नामांकित संचालकों को मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

31. (अ) संघ के संचालक मंडल का कार्यकाल उस तारीख से जिसको कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने के लिए संचालक मंडल की प्रथम बैठक आयोजित की गई है, पाँच वर्ष होगा ।
(ब) यदि संघ का संचालक मंडल विधान के तहत अतिक्रमित किया जाता है निलंबित किया गया हो या हटाया गया हो और तत्पश्चात किसी न्यायालय या अन्य आदेश से पुनः संचालक मंडल पदारूढ़ होता है तो जितनी अवधि के लिए मंडल अतिक्रमित रहा, निलंबित रहा या हटाया गया वह कालावधि उपनियम (अ) में वर्णित कार्यकाल में नहीं गिना जावेगा ।

[illegible] की बैठक में प्रस्तुत [illegible] विषय केवल उस जिले का [illegible] लिए [illegible] अधिनियम के [illegible] अधिकारी [illegible] किसी [illegible] के [illegible] के लिए [illegible] यहाँ यदि [illegible] बैठक के [illegible] को उसके [illegible] एवं निर्णायक मत [illegible] का अधिकार होगा।

39. [illegible] बैठक में लिए गए [illegible] के [illegible] होगी।

40. [illegible] की [illegible] मुख्य [illegible] या अन्य प्रकार की [illegible] करेगा। [illegible]

नर्सों के अधिकार एव कर्तव्य :

41. [illegible] निम्नलिखित [illegible]

1\. [illegible]

2\. [illegible] नर्सों [illegible] सम्बन्धी [illegible] ऐसे [illegible] के लिए [illegible] करेगी।

3\. [illegible] के अनुसार [illegible] के लिए [illegible]

4\. [illegible]

5\. [illegible]

6\. [illegible]

7\. [illegible] की नर्सरी दैना।

8\. शासन से प्राप्त [illegible] अनुदान एवं [illegible] करेगी।

9\. [illegible] की [illegible] किसी भी [illegible] के [illegible] अधिनियम [illegible] के लिए [illegible] करने [illegible] की मंजूरी देना।

22\. उपनियम [illegible] के अनुसार संस्था की ओर से [illegible] अधिकारियों [illegible] के लिए स्वीकृत [illegible]।

23\. उपनियम [illegible] (13) के अनुसार सदस्यों एवं सदस्य संस्थाओं को [illegible] करने हेतु [illegible]।

24\. उपनियम [illegible] (13) के अनुसार [illegible] एवं [illegible] निर्धारित करना।

25\. [illegible]

26\. [illegible] नियम [illegible] के अनुसार निर्धारित [illegible]

[illegible]

9. [illegible] संघ की सम्पत्ति [illegible] तथा अभिलेखों पर [illegible] करना ।

10. मण्डल द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार संघ की ओर से [illegible] के साथ [illegible] संविदाओं [illegible] को निष्पादित करना तथा [illegible] करना ।

11. [illegible] संघ [illegible] सम्पत्ति [illegible] तथा अन्य [illegible] निष्पादन करना तथा [illegible] करना ।

12. मण्डल द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार कोई भी [illegible] अथवा [illegible] परक्राम्य लिखतों के विक्रय, [illegible] तथा अन्य प्रकार के [illegible] दस्तावेजों और [illegible] का संघ की ओर से निष्पादन करना ।

13. पूर्ण शोधन होने पर संघ के दावों और [illegible] को [illegible] करना ।

14. संघ की किसी भूमि या अन्य सम्पत्ति के सुधार या [illegible] करने की स्वीकृति प्रदान करना ।

15. संघ के [illegible] श्रेणी के कर्मचारियों के [illegible] संघ के [illegible] व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए [illegible] एवं अध्यक्ष को [illegible] करना ।

16. संघ के व्यापार संबंधी कार्यक्रम तैयार करना और उसे मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना ।

17. किसी भी सहकारी सोसायटी के [illegible] प्रबंध भार संघ को सौंपा गया हो, कार्य संचालन हेतु [illegible] की नियुक्ति करना और समय समय पर ऐसे परिवर्तन करना जो कि आवश्यक समझे, लेकिन [illegible] कार्य की स्वीकृति मण्डल से प्राप्त करना ।

18. उपनियम क्रमांक 3(13) के अनुसार मण्डल द्वारा निर्धारित शर्तों पर सदस्य को [illegible] तथा वस्तुओं के रूप में [illegible] अग्रिम प्रदान करने की स्वीकृति देना ।

19. उपनियम क्रमांक 3(22),(23),(24) और (25) की अनुपालना के लिए मण्डल द्वारा स्वीकृत राशि व्यय करना ।

20. मण्डल और उपसमिति की बैठकें, समिति के अध्यक्ष के परामर्श पर बुलाना ।

21. संघ का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदन जो मण्डल द्वारा चाहे गये हों, मण्डल को प्रस्तुत करना ।

22. अंकेक्षण प्रतिवेदन, अंकेक्षित लाभ हानि लेखा और स्थिति विवरण [illegible] टिप्पणियां मंडल को प्रस्तुत करना और उनकी तामील करवाना ।

23. वार्षिक आय–व्यय के अनुमान पत्रक मंडल को प्रस्तुत करना ।

24. मण्डल को संघ द्वारा किये जाने वाले व्यापारिक व्यवहारों तथा [illegible] के संबंध में सिफारिश करना ।

25. संघ के व्यवसाय एवं [illegible] से संबंधित सभी मामलों के लिए खर्च की स्वीकृति देना तथा खर्च करने के लिए प्राधिकार देना ।

26. संघ पर ऋणों, दायित्वों, दावों और मांगों का भुगतान करना या पूर्ण शोधन करना ।

27. आवश्यकता [illegible] किसी भी समय ऐसे सभी कार्य करना और ऐसे सभी कदम उठाना जो कि संघ के हित में या [illegible] की रक्षा के लिए आवश्यक हो ।

10. [illegible] कार्यालय के [illegible] के [illegible] प्रकार के [illegible] करने के आदेश इस हेतु [illegible] के अनुसार [illegible] किया जाता है।

11 [illegible] के लिए आवेदन पत्र [illegible] करेगा।

12. [illegible] द्वारा [illegible] कार्यों के [illegible] अन्य [illegible] कार्यालयों (दीवानी, फौजदारी, [illegible] या अन्य) [illegible] अधिकारि [illegible] कार्यवाहियों [illegible] [illegible]

13. [illegible]

14. [illegible]

15. [illegible]

16. [illegible]

[illegible]

[illegible] हेतु [illegible] निदेशानुसार [illegible] के [illegible]

[illegible] के [illegible] आदेशों [illegible] विधिक [illegible] देना।

20. [illegible] के [illegible] संस्थानों और [illegible] का [illegible] [illegible] करना ।

21. [illegible] आवश्यकता [illegible] [illegible] अन्य [illegible] की व्यवस्था करना ।

22. संघ के या उसे [illegible] के पास [illegible], [illegible] वस्तुओं [illegible] का बीमा कराना ।

22. आवश्यकता हो [illegible] निर्धारित सेवा पुस्तकें तथा अन्य [illegible] पुस्तकों के [illegible] रखने की व्यवस्था करना ।

23. हिसाब के [illegible] का प्रबंध कराना और [illegible] पुस्तकों और लेखों के निरीक्षण में सहायता देना ।

24. [illegible] के [illegible] के हिसाब [illegible] करना ।

25. [illegible] और [illegible] कर्मचारियों [illegible] करना ।

26. शासन या अन्य किसी [illegible] की [illegible] का भुगतान करना ।

27. [illegible] करना [illegible] ।

28. संघ के [illegible] के लिए [illegible] और [illegible] किसी [illegible] देना ।

29. नियम, और [illegible] की स्वीकृति देना और [illegible] कर्तव्य तथा [illegible] के अतिरिक्त संघ के किसी नियमों से [illegible] गये अधिकारों एवं कर्तव्यों का [illegible] करना ।

30. [illegible] की [illegible] में [illegible] ।

31. सामान्यतः किसी भी [illegible] करना [illegible] जो संघ के हित [illegible] आवश्यक हो ।
[illegible] अधिकार [illegible] ।
[illegible]

[illegible] आय

(अ) संघ के [illegible] द्वारा [illegible] ।
(ब) [illegible]
(स) [illegible] के लिए

[illegible] द्वारा [illegible] जिसे [illegible]
[illegible]
आपस में किसी व्यवस्था की पुष्टि के आवश्यक है।

53. [illegible] के कार्य एवं व्यवसाय संचालन के लिए [illegible] द्वारा परिवर्तन [illegible] पूरा अधिकार [illegible] समिति को [illegible] पंजीयक द्वारा [illegible] अनुमोदित होगी।

54. उपनियम अथवा उपनियमों में कोई भी संशोधन, परिवर्तन या निरस्तीकरण तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह सहकारी अधिनियम तथा अधिनियम के अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अनुसार संघ के साधारण सम्मेलन में प्रस्ताव द्वारा पारित न किया जाये और सहकारी समितियों के नियम में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार पंजीयक को प्रस्तुत किए जायें तथा वे उस दिन से लागू होंगे जिस दिन पंजीयक द्वारा उनका पंजीयन सहकारी अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही कर किया जावे। यदि पंजीयक या सहकारी समिति अधिनियम में वर्णित समयावधि में कोई भी कार्यवाही नहीं करते हैं तो निर्धारित समयावधि के पश्चात [illegible] उपनियमों के संशोधन यथावत पंजीकृत समझे जायेंगे।

55. सहकारी अधिनियम [illegible] के [illegible] विवाद [illegible] द्वारा अथवा किसी [illegible] पंजीयक अथवा पंजीयक द्वारा मनोनीत व्यक्ति को [illegible] प्रस्तुत किया जावेगा, और उसे [illegible] अधिनियम एवं उपविधियों के अंतर्गत निपटारे के अधीन होंगे।

56. संघ द्वारा किए जाने वाले वाद एवं संघ पर किए जाने वाले वादों में संघ के [illegible] के नाम होंगे।

57. संघ पर या संघ के किसी अधिकारी के विरुद्ध संघ के किसी कार्य, व्यवसाय से संबंधित कोई भी कानूनी कार्यवाही उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार बिना सूचना पत्र (नोटिस) दिये शुरू नहीं किया जा सकेगा।

58. जहाँ कोई विशेष प्रावधान न किया गया हो तो जहाँ भी इन उपविधियों के अनुसार शासन, अधिकारी, प्रबंध संचालक, सचिव, मुख्य महाप्रबंधक, विपणन, मुख्य लेखाधिकारी या अन्य किसी भी नाम से जो उन अधिकारों का उपयोग इनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जा सकेगा।

59. ऐसे सभी मामले जिनका इन नियमों में विशेष रूप से उल्लेख न हो, अधिनियम एवं उपविधियों के अंतर्गत नियमों में प्रावधान के अनुसार निर्धारित होंगे तथा उन पर निर्णय लिए जायेंगे।

60. संघ का परिसमापन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीयक के आदेश द्वारा होगा और परिसमापक की नियुक्ति एवं परिसमापन संबंधी अन्य कार्यवाहियाँ अधिनियम के अंतर्गत नियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होंगी।

61. इन उपविधियों की व्याख्या के संबंध में कोई विवाद होने की दशा में उसे पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र. को प्रेषित किया जावेगा तथा पंजीयक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारक होगा।